

e-Challan

Registration and Stamps department Government of Rajasthan

GRN: 0069284165



Payment Date: 07/12/2022 14:43:27

Office Name: SUB REGISTRAR REGISTRATION & STAMPS, KOTA

Location: KOTA

Period: 01/01/2010-To-07/12/2022

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	0030-02-800-01-00-अन्य प्राप्तियां	650.00

Commision(-): 0.00

Total/NetAmount: 650.00

Six Hundred Fifty Rupees and Zero Paise Only

Payee Details:

Full Name: Mr. Latoor Lal, Mr. Madan Lal & Mr. Satyanarayan	Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :
Pan No.(If Applicable):	City(Pincode): kota(324008)
Address:Kota	Remarks:Sanjay Patodi Advocate For search fee

Payment Details:

Challan No. - 0

Bank:	State Bank Of India	Bank CIN No:	SBIN6928416507122022
Date:	07/12/2022 14:43:27	Refrence No:	IK0BZSODM5

Computer generated copy on : 07/12/2022

Courtsy : <https://Egras.rajasthan.gov.in>

Ref. No. : ADV/Nov./2022

Date : 07.12.2022

To
Registrar (RERA)
2nd and 3rd Floor, RSIC Building,
Udyog Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme,
Jaipur, Rajasthan

Sub : Title search report of Residential Property Project “PARWATI PURAM EXTENSION” for Registration Certificate of Project under RERA, Act. 2016 in respect of Residential converted Land Khasra No. 359 (Part) Area 1.37 Hec. (13700 Sq. Meter) situated at Village Rang Talab Urf Kala Talab, Tehsil Ladpura, Dist. Kota, Raj. belongs to Sh. Latoor Lal, Sh. Madan Lal & Sh. Satyanarayan S/o Sh. Gordhan R/o Gram Rang Talab Urf Kala Talab, Tehsil Ladpura, Dist. Kota, Raj.

BRIEF HISTORY OF TITLE : - Initially Khasra No. 359 (Part) Area 1.37 Hec. (13700 Sq. Meter) situated at Village Rang Talab Urf Kala Talab, Tehsil Ladpura, Dist. Kota, Raj. belongs to Sh. Latoor Lal, Sh. Madan Lal & Sh. Satyanarayan S/o Sh. Gordhan, Miss Prem Bai & Miss Choti Bai D/o Sh. Gordhan & Smt. Panchi Bai W/o Sh. Gordhan R/o Gram Rang Talab Urf Kala Talab, Tehsil Ladpura, Dist. Kota, Raj.

Thereafter Smt. Panchi Bai died on dt. 15.07.07. After death of Smt. Panchi Bai her legal heirs, Sh. Latoor Lal, Sh. Madan Lal & Sh. Satyanarayan S/o Sh. Gordhan, Miss Prem Bai & Miss Choti Bai D/o Sh. Gordhan became owner of the above property.

Thereafter Prem Bai & Choti Bai released their share in this property in favor of their brothers Sh. Latoor Lal, Sh. Madan Lal & Sh. Satyanarayan. So Sh. Latoor Lal, Sh. Madan Lal & Sh. Satyanarayan became owner of the above property.

Sh. Latoor Lal, Sh. Madan Lal & Sh. Satyanarayan decided to develop a residential colony in their land and then they surrender this land to UIT, Kota. Then UIT, Kota converted the said land under section 90-A Rajasthan Land Revenue Act, 1956 by conversion order No. 345.

Then after Sh. Latoor Lal, Sh. Madan Lal & Sh. Satyanarayan executed a General Power of Attorney in favor of M/s Ashirwad Properties through Prop. Sh. Mukesh Kumar Suman on dt. 05.05.2022.

Then after A Memorandum of Understanding executed between Sh. Latoor Lal, Sh. Madan Lal & Sh. Satyanarayan on dt. 02.12.2022.

Thereafter UIT, Kota issued a Layout plan No. 541 dt. 16.11.2022 for residential purpose and issued a proposed site plan.

After getting of approval plan and layout plan from UIT, Kota they are developed a township scheme knows as “PARWATI PURAM EXTENSION”.

Sanjay Patodi
Advocate
KOTA (RAJASTHAN)

Sanjay Patodi
Advocate

Resident & Office –
2-Ga-12, Dadabari, Kota (Raj.)
Mob. – 98285-63373

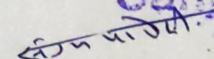
Sh. Latoor Lal, Sh. Madan Lal & Sh. Satyanarayan are absolute owner of the said residential converted land as per records available and presently above mentioned land is in the name of UIT, Kota.

I, further certify that **Sh. Latoor Lal, Sh. Madan Lal & Sh. Satyanarayan** have a valid and marketable title/right in the property and land is free from any encumbrances, charges, lien and attachment.

Search Receipt No. 0069284165 date. 07.12.2022 at Sub Registrar Kota herewith for ready reference.

Date : 07.12.2022

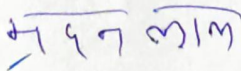
Place : Kota

Sanjay Patodi

Sanjay Patodi, Advocate
(KOTA, RAJASTHAN)

TO WHOM IT MAY CONCERN
LETTER TO AUTHORIZED PERSON IN CHARGE

We the Undersigned authorised to **Mr. Latur Lal** on behalf of Us to Sign all document agreement to sale and any other document excute all deeds etc.

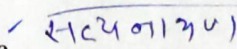
1.For Madan Lal



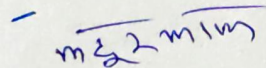
Signature

2 .For Satyanarayan

Signature



Accepted by



Latur Lal



राजस्थान RAJASTHAN

BK 083288

Memorandum Of Understanding

This Memorandum of understanding is being made an executed on this 01 December 2022 at Kota

Between

Mr. Latur Lal aged 72, S/o **Gordhan**, having registered address R/o 129, Kalatalab Ladpura, Kota, Rajasthan. hereinafter referred to as the "owner", (which expression shall unless repugnant to the meaning or context here of be deemed to mean and include it's representative, successors, liquidators, assignees and Nominees) of the first part.

And

Mr. Madan Lal aged 70, S/o **Gordhan**, having registered address R/o Chandresal Road, Suman Nagar, Kota Junction, Kota, Rajasthan. hereinafter referred to as the "owner", (which expression shall unless repugnant to the meaning or context here of be deemed to mean and include it's representative, successors, liquidators, assignees and Nominees) of the Second part.



02/12/2022

201222 9 100

১৯৪৬ খ্রিঃ ১০ মার্চ তারিখ

1000
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

21/2/21

1214 1114 1114



And

Mr. Satyanarayan aged 57 S/o Gordhan, having registered address R/o Suman nagar, Hanuman Mandir K Pass, Chandresal Road, Kota Junction, Kota, Rajasthan. hereinafter referred to as the "owner", (which expression shall unless repugnant to the meaning or context here of be deemed to mean and include it's representative, successors, liquidators, assignees and Nominees) of the Third part.

27/07/2016

Now it is hereby agreed and declared by and between the parties here to as follows:

1. The project "Parwatipuram ext." situated at Khasra Number 359 (Part) revenue village Kalatalab Urf Rangtalab Kota Rajasthan shall be jointly developed by all the parties.
2. The marketing and selling of the project shall be carry out by all the parties.
3. That Party to the first part shall act as a promoter and remaining all the parties shall act as the other Promoter in the above referred project land "Parwati Puram Ext."
4. That all the rights and liabilities as imposed by the RERA Act shall be executed jointly by all the parties.
5. The designated separate bank account shall be opened in the name of the first party Mr. Latur Lal as provided in sub - clause (D) of clause (1) of sub-section (2) of Section 4 of the RERA Act, 2016.
6. All the receipt / losses from the booking and sale of units in the project.

"Parwati puram ext." shall be shared between the parties in the ratio of their ownership profit and loss ratio Latur Lal 30% Madan Lal 40% and Satyanarayan 30%.

7. That, if any manner in the future all the parties jointly takes responsibility to compensate for the same. contradiction arises or any loss or damage to any Allottee arises in.

Latur Lal

27/07/2016

Satyanarayan

27/07/2016

Madanlal

27/07/2016

Identified by



नगर विकास न्यास कोटा
क्रमांक 160827
दिनांक 12/12/22
प्रकरण का निस्तारण 15 दिवस में
आमद/स्वानगी शाखा पर दर्ज करवा दें।

सेवा में,

दिनांक

श्रीमान् सचिव महोदय,

नगर विकास न्यास,

कोटा (राज0)

विषय : -

बन्धक पत्र प्रस्तुत करने बाबत। खसरा नम्बर 359 (पार्ट) पार्वती पुरम् एक्सटेंशन
359 एच- ब्लॉक (पार्ट) कालातालाब उर्फ रंगतालाब, कोटा (राज0)

महोदय,

निवेदन है कि आवासीय योजना पार्वती पुरम् एक्सटेंशन 359 (पार्ट) कालातालाब
उर्फ रंगतालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा खसरा नम्बर 359 पार्ट को अनुमोदित किया जा चुका
है जिसके एवंज में 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल भूखण्ड बन्धक रखने का प्रावधान किया गया है।

अतः महोदय से बन्धक पत्र (500 /- के स्टाम्प) पर संलग्न कर निवेदन
है कि कार्यवाही हेतु बन्धक पत्र और प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जावे।

संलग्न -

सधन्यवाद

बन्धक पत्र (नोटेरी)

भवदीय
श्री लटूर लाल, मदन लाल, सत्यनारायण
जयें मुकेश कुमार सुमन
मो. नं. - 9667801005

रु. 500

पाँच सौ रुपये

INDIA NON JUDICIAL



सत्यमेव जयते

FIVE HUNDRED



राजस्थान RAJASTHAN

बन्धक पत्र

1895
-5/12/2022

AD 102083

यह बन्धक पत्र आज दिनांक 01.12.2022 को श्री लटूर लाल, मदन लाल सत्यनारायण जरिये मुकेश कुमार सुमन पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद निवासी कालातालाब, कोटा (राज0) के रहने वाले है जो कि इस बन्धक पत्र में प्रथम पक्षकार के नाम से जाने जायेगे।

प्रथम पक्षकार—

बहक

नगर विकास न्यास कोटा राज0 जरिये सचिव जिसे इस बन्धक पत्र में आगे चलकर बन्धकदार कहा गया है एवं जो इस बन्धक पत्र का द्वितीय पक्षकार है कि मध्य निष्पादित किया गया है।

द्वितीय पक्षकार

चूंकि यहां बन्धककर्ता को आन्तरिक विकास कार्य के पेटे नियत राशि रुपये द्वितीय पक्षकार के यहां जमा नहीं करके स्वयं स्तर पर कायर्स के पेटे प्रथमपक्षकार अपनी उक्त योजना के न्यास क्षेत्राधिकार में आने वाले कुल प्लॉटेड एरिया के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के उक्त विकास कार्यो को पूर्ण करने की गारन्टी हेतु अपनी 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बन्धक रखने का निश्चित किया है। अतः एवं यह साक्ष्यांकित करता है।

1. यह कि प्रथमपक्षकार की आवासीय योजना पार्वतीपुरम् एक्सटेन्सन एच— ब्लॉक खसरा नम्बर 359 (पार्ट) कालातालाब उर्फ रंग तालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा शहर के खसरा नम्बर 359 (पार्ट) रकबा

हस्ताक्षर प्रथम पक्षकार—

ATTESTED

हस्ताक्षर द्वितीय पक्षकार— 1



हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी करनी स्वीकार किया। निष्पादनकर्ता को श्री पवन कुमार ने पहचाना। हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी करनी स्वीकार किया। निष्पादनकर्ता को श्री पवन कुमार ने पहचाना। हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी करनी स्वीकार किया। निष्पादनकर्ता को श्री पवन कुमार ने पहचाना।	हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी करनी स्वीकार किया। निष्पादनकर्ता को श्री पवन कुमार ने पहचाना। हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी करनी स्वीकार किया। निष्पादनकर्ता को श्री पवन कुमार ने पहचाना। हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी करनी स्वीकार किया। निष्पादनकर्ता को श्री पवन कुमार ने पहचाना।
--	--



Identified by

कार्यालय नोटेरी (सेन्ट्रल), कोटा (राज0)

क्रमांक 1895 दिनांक 05/12/2022

श्री लल्लू लाल, मदन लाल, मदन लाल, मदन लाल, मदन लाल

पुत्र श्री लल्लू लाल, मदन लाल, मदन लाल, मदन लाल, मदन लाल

ने मेरे सामने इस तथ्य को प्रस्तुत करके इसका निष्पादन करना इसमें वर्णित तथ्यों का सही होना एवं इस पर अपना हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी करना स्वीकार किया। निष्पादनकर्ता को श्री पवन कुमार ने पहचाना।

(नहमुद्दीन कुरेशी) 05/12/2022

नोटेरी, (सेन्ट्रल) कोटा (राज0)

गोपाल बिहार, कोटा (राज0)

1.37 हेक्टर के सम्पूर्ण भाग 13700 वर्गमीटर अर्थात् 147412 वर्गफुट भूमि का राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-ए के तहत गैर कृषि प्रयोजन हेतु 90-ए का लेटर नम्बर एफ 15/क भू.क./90-क/2013 को अनुमोदित किया जा चुका है।

1/2022

2 यह कि उक्त अनुमोदित योजना का मानचित्र द्वितीय पक्षकार द्वारा जारी कर दिया है।

3 यह कि प्रथम पक्षकार उक्त योजना में राज्य सरकार एवं न्यास के द्वितीय पक्षकार निर्देशों/आदेशों के अनुसारण में आंतरिक विकास कार्य करने स्तर से करवाना चाहता है। इसके फलस्वरूप आंतरिक विकास कार्य हेतु नियत राशि द्वितीय पक्षकार के खाते में जमा नहीं कराके इसके पेटे कुल प्लॉट एरिया 11560 वर्गफुट क्षेत्रफल के कुल भूखण्ड जिनकी संख्या 13, जिनकी पैमाईश 11560 वर्गफुट एवं प्लॉट नम्बर 72 से 78, 37 से 40 एवं 53, 54 कुल एरिया 11560 वर्गफुट भूखण्ड है जो कि प्रथम पक्षकार के स्वामित्व व पूर्ण पाक व भारमुक्त है जिसकी सूची बन्धक पत्र पेंस संख्या 10 में वर्णित प्रथम पक्षकार बन्धककर्ता द्वारा उपरोक्त योजना में आन्तरिक विकास करवाने के पेटे बतौर जमानत प्रथम पक्षकार अपनी भूमि द्वितीय पक्षकार को बन्धक रख दिया है।

4 यह राज्य सरकार एवं द्वितीय पक्षकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की द्वितीय पक्षकार की अनापत्ति प्रमाणपत्र के पश्चात की उक्त भूखण्ड बन्धक मुक्त किये जायेंगे। जिस हेतु प्रथम पक्षकार एवं एतद्वारा अपनी सहमति प्रदान करता है तथा उपरोक्त बन्धक की गई भूमि को अन्य किसी व्यक्ति/संस्था/वित्तीय संस्था इत्यादि को बेचान/गिरवी/हस्तान्तरण/इत्यादि प्रथम पक्षकार नहीं करेगा।

5 यह कि प्रथम पक्षकार विकास कार्य हेतु राज्य सरकार एवं द्वितीय पक्षकार द्वारा नियत अवधि में निर्धारित नियमानुसार अपेक्षित आन्तरिक विकास कार्य करने में असफल रहता है तो उक्त बन्धक रखे हुए 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के उक्त भूखण्डों की नीलामी का पूर्ण अधिकार द्वितीय पक्षकार नगर विकास न्यास कोटा को होगा।

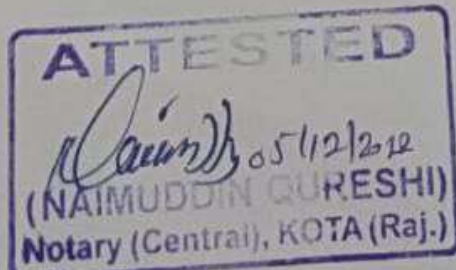
लिहाजा यह बन्धक-पत्र अपनी राजी खुशी पूर्ण होश हवास बिना किसी नशे पते व दबाव के 500/- रुपये के एक स्टाम्प एवं एक सादा पेपर कुल 500/- रुपये के दो किता पर स्वस्थ चित्त स्थिर बुद्धि से आलेखित कर दिया जो सनद रहे व वक्त जरूरत काम आवे।
तहरीरी तारीख - 05/12/2022

गवाह - 1.

हस्ताक्षर प्रथम पक्षकार-

हस्ताक्षर द्वितीय पक्षकार-

गवाह - 2.



जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- रंगतलाबउर्फकानातलाब पटवार हल्का बड़वाडा नू.अनि.नि.क्षेत्र वाहपुरा
 नहसील :- लाहपुरा जिला :- कोटा दिनांक :- 05/06/2018
 सम्बत :- 2072 - 2075 चारनभिक सम्बत :- 2072
 क्षेत्रफल :- हैक्टेयर

खेपट(खतोनी)		भूमि धारक का नाम	कमतदार का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	मिचवाई के माध्यम	लगान		नानान्तरण आदेश नं. तथा तारीख	भूमि जमा जिनके अन्तर्गत
नया	पुराना							दर	रकम		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
360	102	राज.	नगर विकास न्याम कोटा (धारा 90-क)	6/627	0.1400	आवासीय	0.1400				
	105	सरकार	आवासीय प्रयोजनार्थ नामा.न.771, 772,	9	1.6600	आवासीय	1.6600				
	150		778, 760, 821, 918, 940,965,972,977	12	0.0400	आवासीय	0.0400				
	161		नामा. नं.: 990-नि.दि.: 05/05/2017 न्याया. आदेश	18	0.3100	आवासीय	0.3100 चा.नं.17				
	167		(नामा.यूनिक नं.: 2601-9345)	20	0.0300	आवासीय	0.0300 चा. नं.17				
	17			21	0.1800	आवासीय	0.1800				
	176			34	1.2600	आवासीय	1.2600				
	195			42	0.0300	आवासीय	0.0300				
	209			45	0.0200	आवासीय	0.0200				
	213			47	0.0200	आवासीय	0.0200				
	223			48	0.0200	आवासीय	0.0200				
	232			49	0.0100	आवासीय	0.0100				
	237			50	0.0200	आवासीय	0.0200				
	243			51	0.0100	आवासीय	0.0100				
	255			59	0.2100	आवासीय	0.2100				
	266			61	0.1400	आवासीय	0.1400				
	267			319/1	2.4400	नहरी प्रथम	2.4400		32	78.03	
	268			334/604	1.0000	आवासीय	1.0000				
	275			359	2.2300	आवासीय	2.2300				
	281			363/638	1.3000	नहरी प्रथम	1.3000		32	41.60	
	296			363	1.8800	नहरी प्रथम	1.8800		32	60.16	
	299		दक्षिणी								
	327			364	1.3500	नहरी प्रथम	1.3500		32	43.20	
(मजदूर)	360			367/1	0.0200	नहरी प्रथम	0.0200		32	0.64	
	360			367/4	0.0100	नहरी प्रथम	0.0100		32	0.32	
	364			367/2	0.0100	नहरी प्रथम	0.0100		32	0.32	

(केवल नकल के उपयोग हेतु)

संवत् - २०७२ - १७

जिला (कोट)

खसम गिरदावरी (चतुर्वर्षीय) ग्राम रंग तलाव के तहत हसील लाउपुडा

को गिरदावरी के अनुसार प्रविष्टियां

जमाबन्दी के अनुसार प्रविष्टियां

संवत् २०७२

क्षेत्रफल सहित फसलों का ब्यौरा

एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल

टिप्पणियां तथा अधिकारों, कब्जों, किराये तथा राजस्व आदि में परिवर्तन

जमाबन्दी के अनुसार प्रविष्टियां							सम्बत् 2072									एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल		न जोते गये क्षेत्रफल का ब्यौरा	टिप्पणियां तथा अधिकारों, कब्जों, किराये तथा राजस्व आदि में परिवर्तन
नाम	क्षेत्रफल	नृदा भूमि वर्ग	जमाबन्दी की संख्या	प्रविष्टियों सहित खातेदार और खातेदार का नाम	उप-काश्तकार का नाम तथा उसके पिता का नाम जाति व निवास और खेती करने की शर्त	सिंचाई स्त्रोत तरीके सहित	क्षेत्रफल सहित फसलों का ब्यौरा												
							शरीफ (सियालु)			रबी (उन्हालु)			सिंचित		असिंचित				
1	2	3	4	5	6	7	फसल का नाम	सिंचित	असिंचित	फसल का नाम	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	8	9			
1	223	100	545	लक्ष्मण मदनलाल (अल्प मराया)	पुण्ड गोखन को म माली		शरीफ	123		रबी	123		123		फसल	100			
							प्रमाणक 90			अवेदन दिनांक 29/8/18			प्रमाणक 100		अवेदन दिनांक 29/8/18				
							सकलीम दिनांक 29/8/18			राजस्व 102			प्रमाणक 100		अवेदन दिनांक 29/8/18				
							राजस्व 102			प्रमाणक 100			अवेदन दिनांक 29/8/18		अवेदन दिनांक 29/8/18				



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

पृष्ठ संख्या :- 1 of 1
(अंशित) नियम 151

ग्राम का नाम :- रगतलाबउर्फकालातलाब

पटवार हल्का :- डडवाडा

भू.अभि.नि.क्षेत्र :- लाडपुरा

तहसील :- लाडपुरा

जिला :- कोटा

काश्तकार का नाम/पिता का नाम

जाति निवास के पते सहित :-

सम्बत :- 2068 - 2071

भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार

क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर

खाता संख्या नया :- 247

खाता संख्या पुराना :- 235

लहूरलाल, मदनलाल, मत्यनारायण

पुत्रान गोरधन, प्रेमबाई, छोटीबाई

पुत्रिया व पांजीबाई बेवा गोरधन

कौम माली सा.देह खातेदार

खमरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के माध्यम	अन्तर्गण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
359	2.2300	नहरी प्रथम	2.2300	71.36	* नामा. सं.: 870 - नि.दि.: 16/09/2014 - विरासत से मृतका पांजीबाई बेवा गोरधन का नाम खाते में दर्ज वागिमान लहूरलाल मदनलाल मत्यनारायण पुत्रान् प्रेमबाई छोटीबाई पुत्रिया गोरधन के पक्ष में खारिज करना स्वीकार हुआ। हस्ता. पटवारी	
					* नामा. सं.: 874 - नि.दि.: 27/11/2014 - हकालतगार में ख.नं. 359 की 2.23 है. भूमि के हिस्सा 2/5 पर खातेदार प्रेमबाई छोटीबाई पुत्रिया गोरधन के स्थान पर सहखातेदार व भाई लहूरलाल मदनलाल मत्यनारायण पुत्रान गोरधन का नाम हि.ब. में दर्ज करना स्वीकार हुआ. हस्ता. पटवारी	

कुल 1 2.2300 2.2300 71.36

धमरे -

* वर्तनी शुद्धि हेतु उक्त नामान्तरण जाँच प्रक्रिया में है।

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।

इसका उपयोग किम् भी न्यायालय में माध्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

प्रतिलिपि जारी करने की तिथि :- 19/12/2014



कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक :- एफ 7/डी0टी0पी0/1180/2022/ 541

दिनांक :- 16/11/2022

निमित्त :

श्री लदूरलाल, मदनलाल, सत्यनारायण, पांचीबाई
जयें श्री मुकेश कुमार सुमन
निवासी :- रंगतालाब उर्फ कालातालाब,
कोटा (राज0)।

विषय :- ले-आउट प्लान (आवासीय योजना प्रयोजनार्थ) खसरा नम्बर 359 (पार्ट) ग्राम रंगतालाब उर्फ कालातालाब क्षेत्रफल 13700 वर्गमीटर के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार कि अधिसूचना क्रमांक एफ 3(77)न.वि.वि./3/2010 दिनांक 28.06.10 द्वारा जारी निजी क्षेत्र में आवासीय, ग्रुप हाउसिंग व अन्य योजनाओं हेतु नीति 2010 (10 हैक्टेयर से कम) के अन्तर्गत आपके आवेदन के क्रम में ले-आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 07/10/2022 में लिये गए निर्णयानुसार ले-आउट प्लान स्वीकृति उपरांत योजना विकसित किये जाने हेतु निम्न शर्तों के साथ जारी किया जा रहा है -

- (1) अनुमोदित योजना प्लान में उल्लेखित समस्त शर्तों की पालना सुनिश्चित की जानी है।
- (2) नियमानुसार कृषि भूमि रूपान्तरण राशि न्यास कार्यालय में जमा करवानी होगी।
- (3) पॉलिसी में उल्लेखित शर्तों के अनुसार भूखण्डों की बुकिंग, पट्टा/लीज डीड आदि की कार्यवाही की जावेगी।
- (4) योजना में दर्शित EWS/LIG भूखण्डों का निष्पादन मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रेषित आदेशों के अनुसार किया जाना होगा।
- (5) योजना में विकास कार्य उक्त तिथि से 6 माह में प्रारम्भ व 18 माह में पूर्ण करना होगा। विकास कार्य पॉलिसी में निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप न्यास के संबंधित अधिशाषी अभियंता की देखरेख में कराना होगा, निर्धारित समयावधि में मानदण्डों के अनुसार योजना के सभी आवश्यक कार्य पूर्ण कर अधिवास प्रमाण-पत्र लिया जावेगा, तथा विकास कार्य पूर्ण होने के उपरांत 3 वर्ष तक रख-रखाव करना होगा। यदि योजना में विकास कार्य निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नहीं पाये जाते हैं, तो अधिवास प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जावेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
- (6) भूखण्डों पर निर्माण न्यास से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त कर करवाना होगा।
- (7) स्वीकृत प्लान अनुसार ही विकास कार्य किये जावेंगे योजना में किसी प्रकार का संशोधन न्यास की पूर्व अनुमति के नहीं किया जा सकेगा।
- (8) रैनवाहटर हारवेस्टिंग के लिये व्यवस्था करना अनिवार्य होगी। विकसित की जाने वाली योजना में मास्टर प्लान/सेक्टर प्लान के अनुसार सड़कें, सीवर लाईन, नाले ओवरहेड, केबल्स आदि के लिये सम्बन्धित संस्था को 'राइट आफ वे' दिया जावेगा।
- (9) स्वीकृत ले-आउट प्लान की प्रति जानकारी हेतु योजना स्थल पर बोर्ड पर लगाई जावें, जिसमें न्यास में रहन रखे गये भूखण्डों को स्पष्ट रूप से दर्शाया जावें।
- (10) ले-आउट में सड़कों का लेवल इस प्रकार हो कि ड्रेनेज की व्यवस्था मुख्य सड़कों पर स्थित ड्रेन में सुचारु रूप से हो सके।
- (11) आंतरिक विकास कार्य के पेटे 12.5 % विक्रय योग्य भूखण्ड (भूखण्ड सं0 72 से 78, 37 से 40 तथा 53 से 54 कुल भूखण्ड 13 क्षेत्रफल 11560 वर्गफीट) आरक्षित किये जाते हैं, जिनकी बुकिंग न्यास द्वारा भूखण्ड रहनमुक्त करने के उपरांत ही की जा सकेगी। उक्त भूखण्ड नगर विकास न्यास में रहन है एवं उक्त भूखण्डों को किसी को भी बैचान नहीं करें। यदि बैचान किया जाना पाया जाता है तो स्वीकृति किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी। उपरोक्तानुसार 12.5 प्रतिशत आरक्षित भूखण्डों को रहन रखे जाने हेतु मॉर्गेज डीड संपादित करवायें।

- (12) आवेदक को योजना के आंतरिक विकास बाबत टाउनशिप पॉलिसी-2010 के अनुसार तकमीने प्रस्तुत करने होंगे एवं तकमीनों का न्यास की अभियांत्रिकी शाखा से अनुमोदन उपरांत तदनुसार विकास कार्य करने होंगे।
- (13) उक्त ले-आउट का RERA में पंजीयन करवाया जावे।
- (14) समय-समय पर राज्य सरकार एवं न्यास द्वारा नियमों/शर्तों की पालना करनी होगी।
- (15) टाउनशिप पॉलिसी-2010 में उल्लेखित समस्त शर्तों की पालना करनी होगी।
- (16) उपरोक्तानुसार शर्तों की पालना नहीं होने पर स्वीकृति निरस्त मानी जावेगी।

संलग्न :- स्वीकृत ले-आउट प्लान

(राजेश जोशी)
सचिव
नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक :- एफ 7/डी0टी0पी0/2022/

दिनांक :- /11/2022

प्रतिलिपि :-

- 1- उप सचिव (.....), नगर विकास न्यास, कोटा को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार 12.5 प्रतिशत आरक्षित भूखण्डों को रहन रखे जाते हेतु मॉगेज डीड संपादित करवायें। उक्त भूखण्ड आंतरिक विकास कार्य पूर्ण होने के उपरांत मुक्त किये जा सकेंगे।
- 2- अधिशासी अभियंता (.....) को प्रेषित कर लेख है कि योजना का समय-समय पर मौका निरीक्षण करें एवम् समय-समय पर विकास कार्य की जांच कर निर्धारित मानदण्ड अनुसार सुनिश्चितता कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

(महावीर सिंह मीना)
वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास, कोटा

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, कोटा

प्रकरण संख्या :- एक-15, कृ.मू.क./90-क/2013/345

तहसीलदार-द्वितीय, नगर विकास न्यास, कोटा।

--- बनाम ---

(1) श्री लदूर लाल, मदनलाल, सत्यनारायण पुत्रान गोरधन, प्रेमबाई, छोटीबाई पुत्रियां व पांवीबाई बेवा गोरधन कौम माली साठदेह खातेदार (2) दुर्गालाल पुत्र किशनचन्द्र जाति माली साठदेह खातेदार रहन :- हाडौली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा नयापुरा कोटा

विषय :- ग्राम रंगतालाब उर्फ कालातालाब तहसील साडपुरा जिला कोटा की निजी खातेदारी भूमि खानो 359, 360 रकबा 2.23, 2.13 हे० भूमि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अधीन आवासीय प्रयोजनार्थ अनुज्ञा प्रदान करने बाबत।

--- आदेश ---

मामले के सक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है :-

दिनांक :- अगस्त, 2013

तहसीलदार-द्वितीय, नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जिसके तहत अवगत कराया गया कि ग्राम रंगतालाब उर्फ कालातालाब भूमि खानो 359, 360 रकबा 2.23, 2.13, हे० भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ से-आउट सोमेटो लगा हुआ है तथा उक्त खसरा नम्बर की योजना के भूखण्डपरिणों को पड़े निम्न बातें की कार्यवाही किये जाने से पूर्व उक्त खसरा नम्बर की 90-क की कार्यवाही अपेक्षित है। तहसीलदार-द्वितीय नगर विकास न्यास, कोटा ने अपनी रिपोर्ट के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति समेत 2066-69 खाता संख्या ... राजस्व खसरा अनुरेख, अभिन्यास योजना का मानचित्र आदि दस्तावेज संलग्न करते हुए राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-(क)(8) के तहत निम्नलिखित भूमि के खातेदार के अधिकार/हित पर्यवसित किये जाने के साथ ही जाना अवगत कराया।

तहसील और जिले का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्र (हेक्टर में)	खातेदार का नाम
1-	2-	3-	4-	5-
तहसील साडपुरा जिला कोटा	रंगतालाब	225 359	2.23	श्री लदूर लाल, मदनलाल, सत्यनारायण पुत्रान गोरधन, प्रेमबाई, छोटीबाई पुत्रियां व पांवीबाई बेवा गोरधन कौम माली साठदेह खातेदार
		116 360	2.13	दुर्गालाल पुत्र किशनचन्द्र जाति माली साठदेह खातेदार रहन :- हाडौली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा नयापुरा कोटा

प्रस्तुत पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार-द्वितीय, नगर विकास न्यास, कोटा का प्रस्ताव स्वीकार करते हुए प्रकरण दर्ज रजिस्टर कराया गया। लोकसूचना का प्रकाशन स्थानीय भाषा हिन्दी के दो प्रमुख समाचार-पत्रों दैनिक भास्कर एवं राजस्थान पत्रिका में दिनांक 27/02/2013 में प्रकाशित कराई गई। इसके तहत नियमानुसार सात दिवस में सार्वजनिक रूप से आपत्तियां प्रस्तुत करने का समय निश्चित किया गया। नियत अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

यह कि मैंने तहसीलदार-द्वितीय, नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कागजों का परीक्षण कर लिया है। अतः मेरी यह राय है कि उपरोक्त प्रयोजन भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए जान्य उपयोग मास्टर प्लान के अनुरूप है और खातेदार के खातेदारी अधिकार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की

[Signature]

4. उपधारा (8) और राजस्थान अभिवृत्ति अधिनियम की धारा 82 और तदधीन बनाया गया नियमों के अन्वय में अनुसार उक्त भूमि पर अभिवृत्ति अधिकार पर्यवसित किये जाने का दर्जा है।

अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि ग्राम संगतालाब उर्फ कालातालाब भूमि खजाना 359, 360 खण्ड 2.23, 2.13, है 0 में स्थित भूमि पर खातेदार के अभिवृत्ति अधिकारों को उक्त भूमि का आवारीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का खातेदार/खातेदार द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, नगर विकास न्यास, कोटा पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप-विधि के अनुसार आवंटन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया होगा जायेगा।

इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुरक्षित विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की खातेदार/खातेदार द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा पालना की जायेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 11 अगस्त, 2013 को पारित किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी
(उपसचिव)

नगर विकास न्यास, कोटा

दिनांक 11 अगस्त 2013

क्रमांक एच-15/कृषु/90-क/2013/

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अवगत की गयी -

- 1 - सचिव नगर विकास न्यास, कोटा।
- 2 - तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा को पूर्वोक्त भूमि को स्थानीय प्राधिकारी नगर विकास न्यास, कोटा के नाम नामान्तरण करने और इस आदेश के 7 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी और अधोहस्ताक्षरी को उसकी प्रति भेजने के लिए।
- 3 - (1) श्री लदूर लाल, मदनलाल, सत्यनारायण पुत्रान मोरहन, प्रेमबाई, छोटीबाई पुत्रियां व पांढीबाई देवा मोरहन कौम माती सा0देह खातेदार (2) दुर्गालाल पुत्र किशनचन्द जाति माली सा0देह0 खातेदार रहन हाडीली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा नयापुरा कोटा।

प्राधिकृत अधिकारी
(उपसचिव)

नगर विकास न्यास, कोटा

NDFCR 52025102855846768

28-10-2022

खाता संख्या : 11342040000010

प्रथम प्रति (जमाकर्ता के लिए)

पंजाब नेशनल बैंक

शाखा : नगर विकास न्यास, कोटा को ही मान्य है।

चालू खाता जमा पर्ची

क्र.सं.

3521

दिनांक 01/11/2022

रु. 50 हजार और अधिक राशि पर भूखण्डधारी
के आयकर पेनकार्ड की स्वहस्ताक्षर फोटो कॉपी
अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

श्री. मुकेश जी दाशविहारी शोपेरी

पता लक्ष्मी लाल मदन लाल

मो./दूरभाष नं. 24024141401

भूखण्ड सं. 359, 360, 361 रोजना

विवरण रुपये पैसे

क) जमीन की कीमत	513750	
ख) किराया.....		
ग) ब्याज.....		
घ) अमानत राशि		
च) नकशा		
छ) जुर्माना		
ज) शहरी मूल्यांकन		
ब्याज		
झ) अन्य		
ड) चालू खाता		

पंजाब नेशनल बैंक
शाखा नगर विकास न्यास, कोटा
1 NOV 2022
अन्तरण / TRANSF

पांच लाख तेरह हजार

रुपये 513750

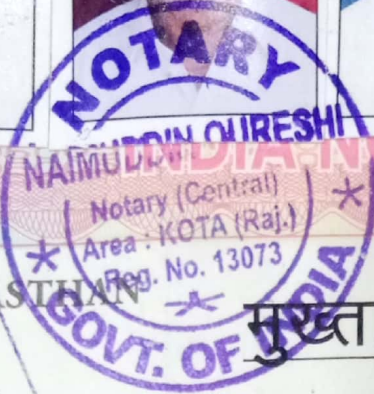
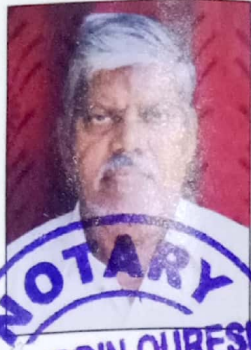
नियंत्रित सात सौ पचास

केवल कार्यालय के प्रयोग के लिए / For Office use only

ट्रांजे आईडी/यूटीआर सं. TXN ID/UTR No.....

ह. ग्राहक खजांची प्राधिकृत अधिकारी

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA



IVE HUNE
RUPSE



राजस्थान RAJASTHAN

सुखतारनामा-आम

677
05/05/2022 S 688338

कोषाधिकारी कोटा

24 MAR 2022

राजस्थान

हम कि -

के हैं।

जो कि हम मुकिरान् के कब्जे काश्त व खाते की आराजी खाता संख्या पुराना 235 नया 247 के ख.सं. 359 (भाग) रकबा 2.23 है. में से 1.37 है. वाके ग्राम रंगतालाब उर्फ कालातालाब, पटवार हल्का डडवाड़ा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लाड़पुरा तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा (राज0) में स्थित है। एवं आराजी पर बहैसियत खातेदार हमारा ही मालिकाना कब्जा व अधिकार चला आ रहा है।

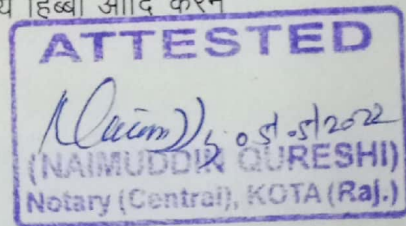
यह कि उक्त आराजी उक्त आराजी आज दिन तक कही पर रहन बैय हिब्बा आदि में बन्धक नहीं है, यानि के हर प्रकार के भार से पाक व साफ है जिसे रहन बैय हिब्बा आदि करने का हम मुकिरान् को समस्त हक हासिल है।

मदूर लाल

मदन लाल

सत्यनारायण

हस्ताक्षर-



.....2..

स्टाम्प केला के हस्ताक्षर - मुद्रांक विभाग के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर की दशा से नाम - पवन सुमन पुत्र माधो लाल

प्रयोजन - मुखारिनामा-आम

कालातालाब तहसील लाहपुरा जिला कोटा (राज0)

सत्यनारायण पितरान श्री स्व. श्री गोरधन जी निवासीगण,

केला का नाम - (1) लहर लाल (2) मदन लाल (3)

रति. क्रमांक 373 दिनांक 05.05.2022 मुद्रांक वेल्ड 500/-

मुद्रांक विभाग - सतीष कुमार अग्रवाल पत्र संख्या 04/2016

हस्ताक्षर/स्टाम्प वेल्डर

कुल योग - 150/-

(धारा 3-ख) - 20% रुपये 100/-

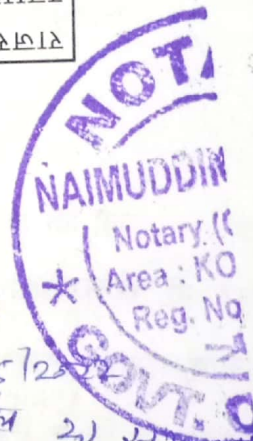
2. गाय व उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन हेतु

(धारा 3-क) - 10% रुपये 50/-

1. आहारार्थीत अवसररचना सुविधाओं हेतु

स्टाम्प रशिष्ट पत्र पत्रातिर अतिरिक्त

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के अन्तर्गत



कार्यालय नोटेरी (सेन्ट्रल), कोटा (राज0)

क्रमांक 677 दिनांक 05/05/2022

श्री गोलहरलाल पुत्र श्री गोलहरलाल

पुत्र श्री गोलहरलाल पुत्र श्री गोलहरलाल

ने मेरे समक्ष हुए लाल को प्रस्तुत करके

इसका निष्कर्ष करवा एवं इसमें वर्णित

सच्यों का पत्रातिर पत्र पर अपना

हस्ताक्षर/स्टाम्प लगाकर स्वीकार

किया। निष्कर्ष के बाद पत्रातिर पत्र

ने पहचाना।

(Naimuddin) 05/05/2022

नोटेरी, (सेन्ट्रल) कोटा (राज0)

3) सत्यनारायण गोरधन जी R1, कालातालाब, तह. लाहपुरा कोटा (राज0)

माधो लाल (पुत्र R1)

गोपाल सिंह कालातालाब

कोटा (राज0)

यह कि अपने अपने कार्यों में अत्यधिक व्यस्तता के कारण हमने अपनी उक्त आराजी खसरा संख्या 359 (भाग) रकबा 2.23 हैक्टर मे से रकबा 1.37 हैक्टर वाके ग्राम रंगतालाब उर्फ कालातालाब, पटवार हल्का डड़वाड़ा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लाडपुरा तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (राज0) बाबत् समस्त कार्यवाहियाँ करने के लिये अपनी ओर से मैसर्स आशीर्वाद प्रोपर्टीज, पार्वतीपुरम्, केनाल रोड़, कालातालाब, कोटा जरिये प्रो. श्री मुकेश कुमार सुमन आयु 37 वर्ष पुत्र श्री रामेश्वर जी जाति माली निवासी रंगतालाब उर्फ कालातालाब, तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0) को अपना मुख्तार आम नियुक्त करते है और लिखे देते है कि-

यह कि मुख्तार आम उक्त आराजी से सम्बंधित किसी भी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय, तहसील आदि में पत्र व्यवहार करें, जहाँ जहाँ हमारे हस्ताक्षर की आवश्यकता हो, वहाँ वहाँ हमारी ओर से अपने हस्ताक्षर करे, आराजी का विक्रय करें, विक्रय प्रतिफल प्राप्त करें, विक्रय पत्र क्रेता के पक्ष में तहरीर करे, उपपंजीयक कार्यालय में विक्रय पत्र पंजीयन हेतु प्रस्तुत करें, विक्रय पत्र पंजीयन सम्बंधी पूर्ण की जाने वाली समस्त कार्यवाहियों का स्वयं अपने हस्ताक्षर एवं उपस्थिति से पूर्ण करें, आवश्यकता पड़ने पर आराजी बाबत्, कोई भी प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, दावा, जवाबदावा, जवाब प्रार्थना पत्र, अपील निगरानी प्रस्तुत करें, जवाबदेही करे, वकील नियुक्त करें, और यदि मुख्तार आम चाहे तो आराजी को विभिन्न भू-भागों में विभाजित कर, विक्रय करें, भू-भाग विक्रय का प्रतिफल स्वयं प्राप्त करें, लिखापढ़ी जारी करें, ले-आउट प्लान पास करवायें, एवं मुख्तार आम द्वारा किये गये समस्त कार्य हमारे द्वारा किये गये कार्य माने जावेंगे।

यह कि मुख्तार आम उक्त आराजी बाबत् वह समस्त कार्यवाहियाँ कर सकेंगे जिन्हे करने का अधिकार हम मुकिरान् को है, चाहे वे अधिकार हमने इस मुख्तारनामा आम में आलेखित कर दिये हो अथवा आलेखित कर दिये जाने से रह गये हो।

हस्ताक्षर-

महमूद माल

महमूद माल

महमूद माल

ATTESTED
(Qaim) 20/05/2022
(NAIMUDDIN QURES
Notary (Central), KOTA (R

.....3..

लिहाजा यह मुख्तारनामा - आम अपनी राजी खुशी पूर्ण होश हवास बिना किसी नशे पते व दबाव के स्वस्थ चित्त स्थिर बुद्धि से 500/- रुपये अक्षरे पाँच सौ रुपये के एक स्टाम्प एवं दो सादा पेपर कुल तीन किता पर आलेखित कर दिया जो सनद रहे व वक्त जरूरत काम आवे, एवं यह मुख्तारनामा-आम अखण्डनीय रहेगा।

तहरीरी तारीख - 05/05/2022

गवाह (1) - सी ५

हस्ताक्षर-

नाम - पका सुप्त SL

पिता/पति का नाम - माधोलाल

गोपाल विश्व, कालाताल

पता - कोय (शिव)

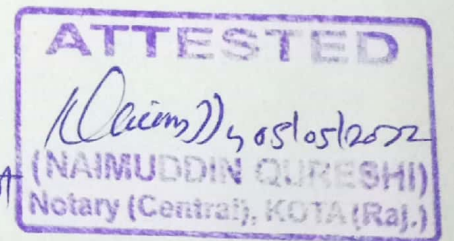
गवाह (2) -

नाम - कुलवीर शर्मा

पिता/पति का नाम - श्री. पुनीलाल

श्री. R. १. सुन्दरगट रोम कोसेनी

पता - कालाताल, कोष





कोटा नगर निगम, कोटा

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1969 की धारा 12/17 तथा
राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 के नियम 8 के अंतर्गत जारी



मृत्यु प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सूचना मृत्यु के मूल अभिलेख से ली गई है।
यह सूचना राजस्थान राज्य के कोटा जिले की कोटा नगर निगम, कोटा के रजिस्टर में दर्ज है।

1. नाम	पांची बाई
2. पिता /पति का नाम	गोरधन लाल
3. लिंग	स्त्री
4. मृतक के स्थाई निवास का पता	रंगतालाब कोटा
5. मृत्यु दिनांक	15/07/2007
6. मृत्यु स्थान	कोटा
7. रजिस्ट्रीकरण संख्या	313001984
8. रजिस्ट्रीकरण दिनांक	18/03/2013

दिनांक

18/03/2013



[Signature]
रजिस्ट्रार
जन्म-मृत्यु पंजीयन
जे.के. रजिस्ट्रार
नगर निगम, कोटा
कोटा नगर निगम, कोटा

मृत्यु की दशा में मृत्यु के कारण संबंधी प्रविष्टियों को, जैसा कि वे रजिस्टर में दर्ज हैं प्रकट नहीं किया जायेगा। धारा 17 (1) को परन्तुक देखिए।
12000711-18/03/2013